

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.04.2021 जनपद देवरिया

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण जनपद गोरखपुर हेतु देवरिया से पुलिस फोर्स रवाना

पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर उन्हें कोविड-19 से बचाव करते हुए पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दिये निर्देश,

बसों को किया गया सेनेटाइजेशन, प्रत्येक पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लफस व सेनेटाइजर देकर किया गया रवाना।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के प्रथम चरण में जनपद गोरखपुर में चुनाव सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु जनपद देवरिया से कुल 1108 आरक्षी, जिसमें 150 महिला आरक्षी सम्मिलित, 208 मुख्य आरक्षी, 95 उप निरीक्षक एवं 90 प्रशिक्षणाधीन आरक्षियों की ड्यूटी जनपद गोरखपुर में चुनाव कराये जाने हेतु लगी है। उक्त पुलिस कर्मियों को आज दिनांक 12.04.2021 को पुलिस लाईन देवरिया के प्रेक्षा गृह में पुलिस अधीक्षक देवरिया डा० श्रीपति मिश्र द्वारा ब्रीफ करते हुए बताया गया कि आप लोगों की चुनाव को शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए संपन्न कराये जाने में बहुत महत्व है और आप लोग अपनी महत्ता को समझते हुए अपने पूर्ण मनोयोग, ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक पुलिस कर्मी को कोविड-19 के संक्रमण से अपना बचाव करने के प्रति भी विशेष सतर्कता व सावधानी बरते जाने की जरूरत है। जिसके लिए प्रत्येक पुलिस कर्मियों को मास्क, सेनेटाइजर, व ग्लफस उपलब्ध कराया जा रहा है तथा बसों को भी पूर्ण रूप से सेनेटाइजर कराया गया है। इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है कि आप लोग अनावश्यक रूप से कहीं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बसों को नहीं रोकेंगे तथा किसी जलपान गृह पर बसों को रोका जाता है तो वहाँ जब तक पुलिस फोर्स है उस जलपान गृह अथवा जगह की पूर्ण रूप से विडियो रिकार्डिंग की जायेगी और टोली प्रभारी उक्त वीडियो तथा अपनी लाइव लोकेशन देवरिया पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहेंगे। टोली प्रभारियों द्वारा समय समय पर अपने बस की फोटो/वीडियो तथा लाइव लोकेशन को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया जायेगा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.04.2021 जनपद देवरिया

चुनाव में अशान्ति फैलाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

01.जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में गैंगेस्टर ऐक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत 03 प्रकरण में 02 अभियुक्तों के कुल 27 लाख 69 हजार की संपत्ति कुर्क

दिनांक:01.01.2021 से 10.01.2021 तक थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0-229/2019 तथा मु0अ0सं0-92/2020 धारा-3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट में अभियुक्त अजय जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र जायसवाल निवासी-सलेमपुर थाना-सलेमपुर जनपद-देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस द्वारा रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को प्रेषित करने के उपरान्त जिलाधिकारी देवरिया द्वारा अभियुक्त अजय जायसवाल उपरोक्त की 02 पीकअप वाहनों अनुमानित मूल्य 08 लाख 60 हजार की संपत्ति कुर्क की गयी, इसी क्रम थाना सलेमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-328/2017 धारा-3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट में कुख्यात अभियुक्त हरिवंश यादव पुत्र गोरख यादव निवासी-भठवा धरमपुर थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा अभियुक्त हरिवंश यादव उपरोक्त की मकान व स्कूटी वाहन कुल अनुमानित मूल्य 19 लाख 09 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की गयी।

02.तीन अभियुक्तों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के क्रम में निरुद्ध

दिनांक 12.03.2021 को थाना तरकुलवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर धौताल में ग्राम पंचायत पेयजल योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा था, जहाँ पर सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, ठेकेदार आदि मौजूद थे कि गांव के ही आजाद पुत्र मैनुद्दीन द्वारा मौके पर आकर निर्माण कार्य का विरोध किया, जिस पर सहायक अभियन्ता द्वारा आजाद उपरोक्त को समझाया गया, किन्तु उसके द्वारा गाँव के एक विशेष वर्ग समुदाय के लोगों को गुमराह कर भड़काते हुए इकट्ठा कर लिया गया तथा सहायक अभियन्ता, ठेकेदार एवं मिस्त्री मजदूरों को मारते पीटते हुए सरकारी वाहन को छतिग्रस्त कर दिया गया व लूट-पाट की गयी, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। इसके सम्बन्ध में वादी श्री रजनीश जायसवाल सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम की तहरीर के आधार पर थाना तरकुलवा में मु0अ0सं0-42/2021 धारा-147,148,395,308, 332,353,323,427,504,506 भादवि 7 सीएलए ऐक्ट व 3/4 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का अभियोग कायम किया गया।

उक्त घटना में मुख्य अभियुक्त 01. आजाद पुत्र मैनुद्दीन 02. सहाबुद्दीन उर्फ सद्दाम पुत्र हारून, 03. अमजद पुत्र मैनुद्दीन निवासीगण-रामपुर धौताल थाना तरकुलवा, देवरिया के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के

तहत जिला मजिस्ट्रेट देवरिया को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 10.04.2021 को जिला मजिस्ट्रेट देवरिया श्री आशुतोष निरंजन द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तों को एन0एस0ए0 के तहत निरूद्ध किया गया।

03. कुख्यात 50 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक देवरिया की संस्तुति पर जिलाधिकारी देवरिया द्वारा दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 09.04.2021 तक हत्या, लूट, डकैती, चोरी, पशु तस्करी एवं अवैध शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त 50 कुख्यात अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया जिसका थानावार विवरण निम्नवत् है।

➔थाना कोतवाली से गिरोह बनाकर चोरी जैसे अपराध कारित करने वाले 07 अभियुक्तों क्रमशः परशुराम यादव पुत्र नर्वदा, दिलीप यादव पुत्र विजय यादव निवासीगण-राघवपट्टी टोला फेलहा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर, दीनानाथ यादव पुत्र महंथ यादव निवासी-माड़ापार थाना खोराबार गोरखपुर, मोनू शर्मा पुत्र विश्राम निवासी-पटनी थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर, राकेश यादव पुत्र लालबहादुर निवासी-पिड़रा थाना-हाटा कुशीनगर, अजय मौर्य पुत्र कोमल निवासी-चनगही थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर, अखिलेन्द्र यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी-पिपरपाती थाना हाटा कुशीनगर तथा हत्या का प्रयास व लूट जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तों क्रमशः सोनू डोम पुत्र भोला निवासी-नगर पालिका रोड थाना कोतवाली जनपद देवरिया, शिव डोम पुत्र सुरेन्द्र डोम निवासी-कांशीराम आवास थाना कोतवाली देवरिया, मंगेश उर्फ मंगेश तिवारी पुत्र तारकेश्वर निवासी-बुद्ध बिहार काँलोनी भुँजौली थाना कोतवाली जनपद देवरिया के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➔थाना रामपुर कारखाना से गिरोह बनाकर मादक पदार्थ जैसे अपराध कारित करने वाले 04 अभियुक्तों क्रमशः लक्ष्मण शाह पुत्र महावीर शाह निवासी-अमवा नकछेद थाना-गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार, जगलाल कुशवाहा पुत्र राधाकिशुन निवासी-परोरही थाना-बरवापट्टी जनपद कुशीनगर, रईतु खातुन पत्नी रियासत देवान निवासी-गौरशिला थाना-विशुनपुरा जनपद कुशीनगर, रूबी खातुन पत्नी कलामुद्दीन निवासी-गौरशिला थाना-विशुनपुरा जनपद कुशीनगर के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➔थाना बघौचघाट से गिरोह बनाकर चोरी जैसे अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तों क्रमशः अशोक चैहान पुत्र बनारसी चैहान निवासी-फरासचक थाना बघौचघाट जनपद देवरिया, विकास उर्फ रसगुल्ला पुत्र श्रवण बांसफोर निवासी-पूर्वी राम गुलाम टोला थाना कोतवाली देवरिया, हसनैन अंसारी पुत्र हारून अंसारी निवासी-विशुनपुरा बाजार थाना बघौचघाट जनपद देवरिया के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना गौरीबाजार से गिरोह बनाकर लूट, डकैती, मारपीट जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 13 अभियुक्तों क्रमशः 01.बिरज प्रताप राव पुत्र राणा प्रताप 02.रणधीर प्रताप पुत्र भानू प्रताप 03.धीरज प्रताप पुत्र राणा प्रताप 04.विकास राव पुत्र स्व0 विजय सिंह 05.प्रिस राव पुत्र प्रेमनरायण सिंह सा0 बखरा थाना गौरीबाजार, देवरिया 06.प्रशान्त सिंह पुत्र रामप्रकाश सिंह सा0 कुडाघाट थाना कैण्ट गोरखपुर0 07.अवधेश यादव पुत्र मदन सा0 बरपार बरवां थाना रामपुर का0 देवरिया 08.कामेश्वर यादव उर्फ मल्लू यादव पुत्र विश्वेश्वर सा0 पननहा इन्दूपुर थाना गौरीबाजार देवरिया 09.मोहसिन उर्फ सोनू पुत्र मुलदा शेख सा0 महुआबारी थाना कोतवाली देवरिया 10.विकास निषाद उर्फ भोलू निषाद पुत्र रघुवर सा0 सिरजम थाना गौरीबाजार देवरिया 11.अजय यादव पुत्र महेन्द्र सा0 रामपुर हीरामन थाना रा0का0 देवरिया 12.एकलाख वारसी पुत्र हस्मुद्दीन बेग सा0 भटवलिया बरपार थाना रामपुर का0 देवरिया 13.अभिषेक वर्मा पुत्र शिवअवतार वर्मा सा0 गौरीबाजार हाटा रोड थाना गौरीबाजार देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना मदनपुर से गिरोह बनाकर हत्या जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 04 अभियुक्तों क्रमशः 01.पवन गुप्ता पुत्र गिरधारी सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 02.राजू कुमार पुत्र आनन्द कुमार सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 03.महेन्द्र गुप्ता पुत्र गिरधारी सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया 04.सूरज यादव पुत्र रामपरीक्षा यादव सा0 बरांव थाना मदनपुर देवरिया के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना लार से गिरोह बनाकर हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु निर्मित अंग्रेजी शराब की उ0प्र0 व बिहार राज्य में तस्करी करने जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 02 अभियुक्तों क्रमशः:01.दीपक कुमार पुत्र जयनरायन सा0 बराही थाना लाइनपार जिला झज्जर हरियाणा 02.नवीन पुत्र दिलबाग सा0 साखौल थाना सेन्टर-2 जिला झज्जर हरियाणा तथा गिरोह बनाकर गौवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों क्रमशः 01.मनोज कुमार पुत्र अशोक कुमार सा0 गवालिसन थाना बैरी जिला झज्जर, हरियाना 02.करन पाल पुत्र सत्यवान सा0 टाड़ी फोगट थाना ददरी जिला भिवानी, हरियाणा के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना मईल से गिरोह बनाकर गौवंशीय पशुओं की तस्करी जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 04 अभियुक्तों क्रमशः 01.विनोद यादव पुत्र स्व0 बैजन्ती सा0 सुल्तानपुर घुघुरी थाना सरपतहा जिला जौनपुर 02.मेराज अहमद पुत्र समिरा सा0 बदला चैराहा थाना मल्हीपुर जिला श्रावस्ती 03.मो0 साहिन अहमद पुत्र मो0 इरसाद मियां सा0 अरगूपुर थाना शाहगंज जिला जौनपुर 04.बृजेश यादव उर्फ बबलू यादव पुत्र रामधनी यादव सा0 कोहड़ा थाना शाहगंज जिला जौनपुर के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

➡थाना खामपार से गिरोह बनाकर अपहरण जैसे गंभीर अपराध कारित करने वाले 08 अभियुक्तों क्रमशः 01.नीतीश पाठक पुत्र कृपाशंकर सा0 बढपुरवा थाना भलुअनी, देवरिया 02.दीपक शाही पुत्र अभय कुमार सा0 व थाना खामपार, देवरिया 03.आदित्य तिवारी उर्फ सैन्डिल पुत्र स्व0 विशुन दयाल सा0 सवरेजी थाना खामपार, देवरिया 04.भरत भूषण पुत्र बलवन्त सिंह सा0 अजयपुरा थाना मदनपुर, देवरिया 05.जयशंकर प्रसाद पुत्र

बवासमुनि सा0 बंजरिया थाना खुखुन्दू, देवरिया 06.अखिलेश मिश्रा पुत्र नागेन्द्र सा0 बीजापुर झंगटौर थाना खुखुन्दू, देवरिया 07.रामकुमार यादव पुत्र बिल्लर सा0 पिपरी उर्फ बन्दी थाना खुखुन्दू, देवरिया 08.मनोज यादव पुत्र कन्हैया सा0 करौदी थाना भलुअनी, देवरिया।के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

04.चुनाव में अशान्ति फैलाने वाले कुल 254 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2021 से 10.04.2021 तक जनपद देवरिया के विभिन्न थानों से चुनाव को शान्ति पूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत 254 अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया।

05.जिलाधिकारी देवरिया द्वारा 18 अभियुक्तों को किया गया जिलाबदरा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2021 से 10.04.2021 तक जनपद देवरिया के विभिन्न थानों से चुनाव को शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुण्डा ऐक्ट में निरुद्ध अभियुक्तों में से कुल 18 अभियुक्तों को जिलाबदर का आदेश जिलाधिकारी देवरिया द्वारा किया गया तथा पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्तों को उनके जिलाबदर जनपद की सीमा में ले जाकर छोड़ा गया तथा जनपद देवरिया में निगरानी करते हुए जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अभियुक्त पप्पू सिंह उर्फ विवेक सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी-पतलापुर थाना-खुखुन्दू देवरिया को दिनांक 01.04.2021 को थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

06.चुनाव को शांति पूर्ण संपन्न कराने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा 48 हजार 832 अभियुक्तों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न एवं शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कुल 33 हजार 359 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 14 हजार 339 व्यक्तियों को धारा-116(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पाबन्द कराया गया तथा विभिन्न प्रकरणों में शांति व कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले कुल 1134 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

07.चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 586 अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 577 अभियोग पंजीकृत, 11 हजार 200 लीटर अवैध शराब बरामद, 134 भद्रियों व लगभग 20 हजार लहन किया गया नष्ट।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2021 से 10.04.2021 तक जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 586 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 577 अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से कुल 11 हजार 200 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए कुल 134 भट्टियों को तोड़ा गया तथा लगभग 20 हजार कुंतल लहन को नष्ट करते हुए व्यापक कार्यवाही की गयी।

08.चुनाव के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, कुल 42 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 42 अवैध शस्त्र बरामद किया गया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2021 से 10.04.2021 तक जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के बिक्री व परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 42 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 42 अभियोग पंजीकृत कर उनके कब्जे से कुल 42 अवैध शस्त्र क्रमशः पिस्टल 01, देशी तमंचा 31, अवैध चाकू 10 बरामद करते हुए व्यापक कार्यवाही की गयी।

09.मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्यवाही, 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 170 किलो अवैध गांजा बरामदा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 01.01.2021 से 10.04.2021 तक जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के बिक्री व परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 11 अभियोग पंजीकृत कर उनके कब्जे से कुल 170 किलो अवैध गांजा बरामद करते हुए परिवहन में संलिप्त दो लग्जरी वाहनों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाही की गयी।

10.कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले 2981 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 10 लाख 72 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।

वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु जिनके द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक-09.04.2021 से 11.04.2021 तक कुल 2981 व्यक्तियों से 10 लाख 72 हजार रुपये का जुर्माना वसूल करते हुए उन्हें मास्क का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।